L.R Appeal No- 06/2016

हिमानी किस्कू

बनाम

झारखण्ड सरकार एवं अन्य

Date of order	Order with the Signature of the Court	Office action taken with date
02.2.21	यह अपील आवेदन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद के न्यायालय के द्वारा भू–वापसी वाद सं0–04/2014–15 (श्रीमती हिमानी किस्कु बनाम बिनोद कुमार ओझा) में पारित आदेश दिनांक 20.5.16 के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद का सार यह है कि मौजा–हीरापुर मौजा नं0–7 खाता नं0–71 प्लॉट सं0–1492, 1493, 1494 एवं 1499 रकवा–34डी0 पर विपक्षी सं0–2 से 4 जो गैर आदिवासी हैं, के दखल के विरूद्ध भू–वापसी से संबंधित है। सर्वप्रथम विपक्षी को पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया है। अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानूनी दृष्टिकोण से चलने योग्य नही है। अपीलार्थी अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। साथ ही मौजा–हीरापुर मौजा सं0–7 खाता सं0–71 प्लॉट सं0–1492, 1493, 1499 रकवा–34डी0 में से 21.5डी. भूमि के स्वामी है। उक्त भूमि खतियान अनुसार बड़ा मांझी के नाम दर्ज है एवं अपीलाथी खतियानी रैयत के वंशज है। विपक्षी सं0–2 से 4, प्रश्नगत भूमि पर अवैध रूप से दखल किये हुए है। प्रश्नगत भूमि को कभी उनके पूर्वज अथवा वंशज द्वारा विपक्षी सं0–2 से 4 को हस्तांतरण नहीं किया गया है। उनका कहना है कि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दलील फर्जी एवं बिना उपायुक्त के पूर्वानुमति के निबंधित किया गया है जिसका कोई मान्य नहीं है। विपक्षी छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 के अंतर्गत बिना अनुमति के आदिवासी खाते की भूमि का न तो कय और न ही दखल प्राप्त कर सकते है। विपक्षी के माता द्वारा नगरपालिका रसीद एवं अन्य कागजात के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर दखल प्राप्त करना चाहते हैं। विपक्षी द्वारा वर्ष 2014 में अवैध रूप से चहारदिवारी निर्माण कर प्रश्नगत भूमि पर दखल प्राप्त करने का प्रयास किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा समय सीमा के अंदर भूवापसी का दावा किया गया है। नगरपालिका रसीद के आधार पर प्रश्नगत भूमि के स्वत्व, अधिकार एवं दखल प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अंचल	

Scanned with CamScanner

अधिकारी,धनबाद द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की है एवं गैर आदिवासी द्वारा अवैध रूप से दखल किये हुए है। उन्होंने उपरोक्त के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं0–2 से 4(विनोद कुमार ओझा, अमोद कुमार ओझा एवं मनोज कुमार ओझा) की ओर से प्रत्युत्तर समर्पित किया गया है जिसमें उनका कहना है कि अपील आवेदन कानूनी दृष्टिकोण से चलने योग्य नही है। प्रश्नगत अपील समय–सीमा से वर्जित है एवं प्रतिकुल कब्जा से संबंधित है। कानूनी दृष्टिकोण से अपीलार्थी का प्रश्नगत भूमि पर कोई दावा नहीं बनता है। यह अपील नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध बताया है। उनका कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी के वर्ष 1965 से दखलकार रहने के आधार पर भू–वापसी आवेदन अस्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी के पूर्वज द्वारा वर्ष 1971 में कार्यपालक दण्डाधिकारी, धनबाद के समक्ष प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी के दखल को स्वीकार किया है तथा विपक्षी के नाम विकय दलील बनाया गया था। दलील के आधार पर उक्त अवधि से आज तक विपक्षी का प्रश्नगत भूमि पर आवास निर्माण कर शांतिपूर्ण दखल–कब्जा है। अंचल अधिकारी, धनबाद के पत्रांक 606 दिनांक 8.4.2016 के द्वारा अमीन मापी प्रतिवेदन में प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी के दखल का उल्लेख किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण कागजात के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत किया है। उनका कहना है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 एवं 71–A भू–वापसी हेतु समय सीमा निर्धारित है। धारा–71–A भू–वापसी के प्रावधान अनुसार हेतु तीस वर्ष समय सीमा निर्धारित है। जबकि अपीलार्थी द्वारा उक्त अवधि समाप्त होने के उपरांत आवेदन दाखिल किया गया है। उनका कहना है कि प्रश्नगत भूमि को विपक्षी के माता श्रीमती मनोरमा देवी ने अपीलार्थी के पूर्वज खतियानी रैयत 1 गणेश मांझी 2. दुगई मांझी 3. सोमई मांझी सभी के पिता–स्व0कंदन मांझी से वर्ष 1965 में कय किया गया था एवं वर्ष 1971 में प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी, धनबाद के समक्ष प्रश्नगत भूमि के राशि प्राप्त करने की घोषणा शपथ–पत्र के माध्यम से

Scanned with CamScanner

की गई है। तत्पश्चात अपीलार्थी के पूर्वज द्वारा निबंधित दलील संख्या–2346 दिनांक 18.2.1993 द्वारा विपक्षी के माता मनोरमा देवी के नाम प्रश्नगत भूमि का निबंधन किया गया है। अपीलार्थी द्वारा जबरन प्रश्नगत भूमि दखल करना चाहते है जबकि उक्त भूमि के मुल्य का उनके पूर्वज को भुगतान कर दिया गया है। उपरोक्त के आधार पर उनके द्वारा अपील आवेदन अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

सरकार की ओर से विज्ञ सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 अंतगर्त उपायुक्त के बिना पूर्वानुमति के हस्तांतरण किया गया है, जो कानूनी दृष्टिकोण से मान्य नहीं है। विपक्षी द्वारा उक्त के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर दावा किया जा रहा है जो नियमानुकुल नहीं है।

उपरोक्त के संबंध में अंचल अधिकारी, धनबाद से प्रतिवेदन की मांग की गई है। अंचल अधिकारी, धनबाद के पत्रांक 94 दिनांक 27.1.21 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–हीरापुर मौजा नं0–7 खाता सं0–71 प्लॉट सं0–1492, 1493, 1499 कुल रकवा–21.5डी भूमि पर बिनोद कुमार ओझा का मकान तथा बाउण्ड्री लगभग 15वर्ष से अवस्थित है तथा दखलकार है। उक्त भूमि बिनोद कुमार ओझा के माता मनोरमा देवी पति–स्व0 इन्द्र देव ओझा ने दलील सं0–2349 दिनांक 18.2.1993 के द्वारा कय किया है जिसका दाखिल–खारिज नहीं हुआ है।

सभी पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर वर्ष 1965 से दखल प्राप्त करने का दावा किया जा रहा है। उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि के निर्धारित मुल्य भुगतान करने के संबंध में वर्ष 1971 के शपथ पत्र एवं निबंधित दलील संख्या–2349 दिनांक 18.2.93 द्वारा कय किये जाने का का भी उल्लेख किया गया है। उक्त दलील Registrar of Assurances, Kolkata से निबंधन है। निबंधन विभाग, बिहार सरकार के पत्र सं0–450 दिनांक 24.2.96 द्वारा बिहार राज्य में अवस्थित भूमि/सम्पति का अंतरण 25.3.1991 की तिथि के उपरांत प्रेसिडेन्सी शहरों तथा दिल्ली के निबंधक द्वारा किये जान पर साक्ष्य के रूप में मान्यता नहीं दिया जाना है। उक्त के आधार पर विपक्षी के दिनांक 18.2.93 के

Scanned with CamScanner

दलील को मान्यता नहीं दिया जा सकता है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत मामले में भूमि का हस्तांतरण गैर आदिवासी रैयत को किया गया है तथा हस्तांतरण की अवधि 12वर्ष से अधिक हो चुकी है। इसलिए भू–वापसी का आवेदन अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत पोषणीय नहीं है। इसके आधार पर उनके द्वारा प्रथम पक्ष के आवेदन को अस्वीकृत किया गया। अभिलेख में संलग्न कागजात से प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि में सम्पादित दस्तावेज छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम,1908 के प्रभावकारी के उपरांत किये गये है। विपक्षी सं0–2 से 4, द्वारा प्रश्नगत भूमि के हस्तांतरण के लिए कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त हस्तांतरण छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के अनुकुल नहीं है एवं उसे विधि–सम्मत करार नहीं दिया जा सकता है। जहां तक बारह वर्ष से अधिक अवधि से प्रश्नगत भूमि विपक्षी सं0–2 से 4 के दखल का प्रश्न है। उसे भी विधि–सम्मत नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा L.P.A No. 708/2003 (राज्य सरकार एवं अन्य बनाम अर्जुन दास) में पारित आदेश प्रासंगिक है जिसका उद्धहरण निम्न प्रकार है:–

"Coming back to the instant case, as noticed above, mutation was refused by the Circle Officer on the ground that the petitioner purchased the land from a member of Scheduled Tribe in violation of the provisions of section 46 of C.N.T Act. If that is so, transfer of land by a member of Scheduled Tribe in favour of the petitioner in violation of the provisions of the Act is itself illegal, null and void and the purchaser has not acquired right, title and interest over the said land. In such circumstances even if the purchaser came in possession of the tribal land by virtue of transfer by a member of Scheduled Tribe in contravention of the provisions of C.N.T Act, possession of such transferee cannot be recognized by any court of law. The Circle Officer can, therefore, refuse to enter the name of the purchaser by deleting the name of the tribal from the revenue records or from register-II maintained by the office of the Circle Officer."

उपरोक्त के आलोक में बिना विधि–सम्मत राजस्व

Scanned with CamScanner

कागजात के किसी दखल को नियम–संगत करार नहीं दिया जा सकता है। इस संबंध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P(C) No 1265/2017(भीखराम भगत एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में पारित आदेश प्रासंगिक है जिसका उद्धहरण निम्न प्रकार है:–

" This Court on the basis of details discussion made hereinabove and in the entirety of facts and circumstances of the case, is of the view that the land in question has been transferred without following the procedure laid down under Section 46 of the Act, 1908 and the same having been found to be proved in dealing with the application filed under Section 71A of the Act· 1908 having the three concurrent findings will come under the fold of principle for issuance of writ of certiorari under Article 226 of the Constitution of India as settled by the Hon'ble Apex Court, as referred hereinabove."

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद के न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.5.16 को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है। साथ ही भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद को आदेश दिया जाता है कि इस मामले में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करायें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त, धनबाद।

उपायुक्त, धनबाद

Scanned with CamScanner